संकलन
नरेन्द्र सिंह सालासर
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
जिशिअ माध्यमिक शिक्षा, चूरू

प्रश्नः—मैं वर्तमान में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ 23.10.2025 को दो वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण किया है, पहले अध्यापक पद का विद्यमान वेतन लिया गया था (अध्यापक पद का जूलाई—2025 लेवल—10 वेतन 39100/—) हैं। अब मेरी वार्षिक वेतन वृद्धि कब लगेगी।

उत्तरः—

1. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2023 (प्रभावी तिथि 01.04.2023) के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 13 में संशोधन कर निम्नानुसार प्रावधान किया गया हैः—
    a. जिन कार्मिको की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि 30 जून से 30 दिसंबर (दोनो दिवस सम्मिलित) को पूर्ण हुये है, उन्हे प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जनवरी को देय होगा।
    b. जिन कार्मिको की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि 31 दिसम्बर से 29 जून (दोनो दिवस सम्मिलित) को पूर्ण हुये है, उन्हे प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जूलाई को देय होगा।

आपके मामले में बिन्दु संख्या 2 (a) लागू है अर्थात 01 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। अगर आपका मूल वेतन व्याख्याता पद के प्रथम सेल के न्यूनतम वेतन 44300/— से ज्यादा पर वेतन स्थिर होता अर्थात वेतन पद के पे मैट्रिक्स लेवल के प्रथम सेल से आगामी किसी भी सेल में स्थिर किया जाता है तो आपको 01 जूलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होती, परन्तु आपका वेतन स्थिर दिनांक 23.10.2025 को लेवल—12 के (प्रथम सेल) में मूल वेतन 44300/— पर हो रहा है अतः 01 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत होगी।

2. इस के आलावा कोई कार्मिक उच्च पद से निम्न पद पर चयनित होता है तो आने वाली 01 जूलाई को ही वार्षिक वेतन वृद्वि देय होगी। रा.से.नि. 26(1) वेतन निर्धारण होगा।

3. जिन कार्मिको का परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 31.03.2023 तक पूर्ण हो चुका है, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि में कोई परिवर्तन नही होगा, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि पूर्व की भांती आगामी जुलाई को देय होगी।

----------------------xxx----------------------xxx-------------------------xxx------------

Date:-27.11.2025

Admin Pm info